धन-कर

खंड 90, निर्धारण से छूट गए धन से संबंधित धन-कर अधिनियम की धारा 17 का संशोधन करने के लिए है।

उपधारा (1क) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, उक्त धारा को उपधारा (1) के अधीन सूचना, सुसंगत वर्ष के अंत से चार, सात या दस वर्ष की अवधि के भीतर जारी की जा सकती है। कोई ऐसा निर्धारण, जिसे पहले ही पूरा किया जा चुका है, सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से चार वर्ष की अवधि तक उक्त उपधारा के अधीन सूचना जारी करके पुनः खोला जा सकेगा। चार वर्ष से परे किसी अवधि के लिए, किन्तु सात वर्ष तक, ऐसी सूचना, उस दशा में जारी की जा सकेगी, जब छूट गई आय की रकम पांच लाख रुपए से कम न हो, किन्तु दस लाख रुपए से अधिक न हो। जहां छूट गई आय की रकम दस लाख रुपए या अधिक होने की संभावना है वहां सूचना सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से दस वर्ष तक जारी की जा सकेगी।

यह प्रस्ताव है कि उक्त उपधारा (1क) का यह उपबंध करने के लिए संशोधन किया जाए कि उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन सूचना सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से चार वर्ष के भीतर या सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से छह वर्ष के भीतर केवल उन मामलों में जारी की जा सकती है, जिनमें कर से प्रभार्य आय की रकम, जो निर्धारण से छूट गई है, उस वर्ष के लिए दस लाख रुपए या अधिक है या होनी संभाव्य है।

यह संशोधन 1 जून, 2001 से प्रभावी होगा।

खंड 91, निर्धारण और पुनर्निर्धारण के पूरा होने के लिए समय-सीमा से संबंधित धन-कर अधिनियम की धारा 17क का संशोधन करने के लिए है।

उपधारा (2) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन निर्धारण या पुनर्निर्धारण का कोई आदेश उस वित्तीय वर्ष के अंत से, जिसमें उस धारा की उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील की गई थी, दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उपधारा (3) में यह उपबंध है कि 1 अप्रैल, 1975 को या उसके पश्चात् पारित आदेश के अनुसरण में निर्धारण का कोई नया आदेश, धारा 23, धारा 24 या धारा 25 के अधीन, किसी निर्धारण को अपास्त या रद्द करने वाले किसी आदेश के अनुसरण में उस वित्तीय वर्ष के अंत से, जिसमें यथास्थिति, धारा 23 के अधीन आदेश मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है या धारा 25 के अधीन आदेश आयुक्त द्वारा पारित किया जाता है, दो वर्ष की समाप्ति से पूर्व किसी समय किया जा सकेगा।

यह प्रस्ताव है कि उपधारा (2) का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि निर्धारण या पुनर्निर्धारण का कोई आदेश धारा 17 के अधीन उस वित्तीय वर्ष के अंत से, उस धारा की उपधारा (1) के अधीन सूचना जारी की गई थी, एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा। तथापि, जहां उक्त उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील, 1 अप्रैल, 1999 को या उसके पश्चात्, किन्तु 1 अप्रैल, 2000 से पूर्व की गई है, वहां ऐसा निर्धारण या पुनर्निर्धारण 31 मार्च, 2002 तक किसी भी समय किया जा सकेगा।

यह और प्रस्ताव है कि उक्त उपधारा में स्पष्टीकरण का लोप किया जाए, जो पारिणामिक प्रकृति का है।

यह भी प्रस्ताव है कि धारा 23 के प्रति निर्देश को धारा 23क के प्रतिनिर्देश से प्रतिस्थापित करने के लिए उपधारा (3) का संशोधन किया जाए और यह उपबंध करने के लिए कि धारा 23क, धारा 24 या धारा 25 के अधीन किसी निर्धारण को अपास्त या रद्द करने वाले किसी आदेश के अनुसरण में नए निर्धारण का कोई आदेश, उस वित्तीय वर्ष के अंत से, जिसमें धारा 23क या धारा 24 के अधीन कोई आदेश, यथास्थिति, मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है या धारा 25 के अधीन कोई आदेश आयुक्त द्वारा पारित किया जाता है, एक वर्ष की समाप्ति से पूर्व किसी समय किया जा सकेगा। तथापि, जहां यथास्थिति, कोई ऐसा आदेश 1 अप्रैल, 1999 को या उसके पश्चात्, किन्तु 1 अप्रैल, 2000 के पूर्व प्राप्त या पारित किया जाता है, वहां नए निर्धारण का आदेश 31 मार्च, 2002 तक किसी भी समय किया जा सकेगा।

ये संशोधन 1 जून, 2001 से प्रभावी होंगे।

खंड 92, शुद्ध धन की विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए ब्याज के संदाय से संबंधित धन-कर अधिनियम की धारा 17ख का संशोधन करने के लिए है।

धारा 17ख में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, निर्धारिती उक्त धारा में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए शुद्ध धन की विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए प्रत्येक मास या मास के भाग के लिए दो प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का संदाय करने के लिए दायी है।

यह प्रस्ताव है कि उक्त धारा की उपधारा (1) और उपधारा (3) का संशोधन किया जाए जिससे कि, यथास्थिति, प्रत्येक मास या मास के भाग के लिए ब्याज की दर को दो प्रतिशत से घटाकर सवा प्रतिशत किया जा सके।

यह संशोधन 1 जून, 2001 से प्रभावी होगा।

खंड 93, धन-कर अधिनियम की धारा 31 का संशोधन करने के लिए है जिसमें यह उपबंध है कि ऐसे निर्धारिती द्वारा, जो व्यतिक्रमी समझा जाता है, कर, ब्याज, शास्ति, जुर्माना या कोई अन्य राशि कब संदेय होगी।

धारा 31 में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, यदि धारा 30 के अधीन किसी मांग की सूचना में विनिर्दिष्ट रकम सूचना की तामील के तीस दिन के भीतर संदत्त नहीं की जाती है तो निर्धारिती उस धारा में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्रत्येक मास या मास के भाग के लिए डेढ़ प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का संदाय करने का दायी होगा।

यह प्रस्ताव है कि उक्त धारा की उपधारा (2) का संशोधन किया जाए जिससे कि, यथास्थिति, प्रत्येक मास या मास के भाग के लिए निर्धारिती द्वारा संदेय ब्याज की दर को डेढ़ प्रतिशत से घटाकर सवा प्रतिशत किया जा सके।

यह संशोधन 1 जून, 2001 से प्रभावी होगा।

खंड 94, प्रतिदाय से संबंधित धन-कर अधिनियम की धारा 34क का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (3) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट आदेश के अनुसरण में निर्धारिती को कोई प्रतिदाय शोध्य है और निर्धारण अधिकारी ऐसे आदेश की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर प्रतिदाय अनुदत्त नहीं करता है वहां केंद्रीय सरकार निर्धारिती को उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए उस प्रतिदाय की रकम पर, जो शोध्य है, प्रतिवर्ष पन्द्रह प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज संदत्त करेगी।

उपखंड (क) उक्त उपधारा (3) का संशोधन करने के लिए है जिससे कि ब्याज की दर को प्रतिवर्ष पन्द्रह प्रतिशत से घटाकर नौ प्रतिशत किया जा सके।

उक्त धारा की उपधारा (4ख) के खंड (क) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, जहां उक्त अधिनियम के अधीन किसी रकम का प्रतिदाय निर्धारिती को देय हो जाता है वहां वह उक्त रकम के अतिरिक्त उक्त खंड में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्रत्येक मास या मास के भाग के लिए उस पर एक प्रतिशत की दर से परिकलित साधारण ब्याज प्राप्त करने का हकदार होगा।

उपखंड (ख) उपधारा (4ख) के उक्त खंड (क) का संशोधन करने के लिए है जिससे कि ब्याज की दर को, यथास्थिति, प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए एक प्रतिशत से घटाकर तीन बटा चार प्रतिशत किया जा सके।

यह संशोधन, 1 जून, 2001 से प्रभावी होगा।

व्यय-कर

खंड 95, व्यय-कर के विलंबित संदाय पर ब्याज से संबंधित व्यय-कर अधिनियम की धारा 14 का संशोधन करने के लिए है।

विद्यमान उपबंध के अधीन, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो व्यय-कर का संग्रहण और केंद्रीय सरकार के जमाखाते में उसका संदाय करने के लिए उत्तरदायी है और धारा 7 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर केंद्रीय सरकार के खाते में कर जमा करने में असफल रहता है, ऐसे प्रत्येक मास या मास के भाग के लिए जिस तक कर को इस प्रकार जमा करने में विलंब किया जाता है, डेढ़ प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का संदाय करेगा।

प्रस्तावित संशोधन, यथास्थिति, ऐसे प्रत्येक मास या मास के भाग के लिए ब्याज की दर को डेढ़ प्रतिशत से घटाकर सवा प्रतिशत करने के लिए है।

यह संशोधन 1 जून, 2001 से प्रभावी होगा।

सीमाशुल्क

खंड 96, सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 27क का संशोधन करने के लिए है जिससे कि सीमाशुल्क के विलंबित प्रतिदाय पर ब्याज की न्यूनतम दर को दस प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत किया जा सके।

खंड 97, सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि निम्नलिखित का उपबंध किया जा सके,--

(i) एक वर्ष की समय सीमा जिसके भीतर उचित अधिकारी छिपाए जाने के मामलों में शुल्क या ब्याज दायित्व का, जहां यह संभव हो, अवधारित करेगा;

(ii) छह मास की समय सीमा जिसके भीतर उचित अधिकारी ऐसे सभी अन्य मामलों में शुल्क या ब्याज का दायित्व, जहां संभव हो, अवधारित करेगा; और

(iii) हेतुक दर्शित करने वाली सूचना के जारी किए जाने की प्रतीक्षा किए बिना निर्धारिती द्वारा शुल्क का स्वेच्छया संदाय।

खंड 98, सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28कक का संशोधन करने के लिए है जिससे कि इसे वित्त विधेयक, 2001 के अधिनियमन की तारीख से अप्रयोज्य बनाया जा सके।

खंड 99, सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28कख का संशोधन करने के लिए है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि कम उद्ग्रहण की दशाओं में, जहां शुल्क वित्त अधिनियम, 2001 के अधिनियमन के पश्चात् संदेय हो जाता है, विलंबित संदाय पर ब्याज उस मास के जिसमें शुल्क का संदाय किया जाना चाहिए था, उत्तरवर्ती मास के पहले दिन से संदेय होगा।

खंड 100, सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 61 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि माल के भांडागारण की ब्याज मुक्त अवधि को छह मास से घटाकर तीस दिन किया जा सके। यह खंड राजपत्र में अधिसूचित की जाने वाली तारीख से प्रभावी होगा।

खंड 101, सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 112 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि अनुचित रूप से आयातित माल की बाबत दांडिक उपबंध को युक्तिसंगत बनाया जा सके।

खंड 102, सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 114 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि ऐसे माल की बाबत जिसका अनुचित रूप से निर्यात किए जाने का प्रयास किया गया है दांडिक उपबंध को युक्तिसंगत बनाया जा सके।

खंड 103, सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 128 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील फाइल करने की समय सीमा को घटाकर साठ दिन किया जा सके और इसके साथ यह उपबंध किया जा सके कि पर्याप्त हेतुक दर्शित किए जाने पर तीस दिन के लिए विस्तार किया जा सकेगा।

खंड 104, सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 128क का संशोधन करने के लिए है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि,--

(i) जहां यह संभव हो वहां आयुक्त (अपील) अपील फाइल किए जाने के छह मास की अवधि के भीतर उसका निपटारा करेगा,

(ii) मामलों को नए सिरे से विचार करने के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को वापस प्रेषित करने के लिए आयुक्त (अपील) की शक्तियों का लोप करना।

खंड 105, सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 129घ का संशोधन करने के लिए है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि सीमाशुल्क, उत्पाद-शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपील अधिकरण के समक्ष अपील फाइल करने के लिए बोर्ड द्वारा निदेश या तो न्यायनिर्णायक आयुक्त को या किसी अन्य आयुक्त को दिए जा सकेंगे।

खंड 106, सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 129ङ का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि आयुक्त (अपील) जहां संभव हो वहां अपील फाइल किए जाने के तीस दिन के भीतर ब्याज या शास्ति के पूर्व निक्षेप के अधित्यजन के लिए आवेदन पर विनिश्चय कर सकेगा।

खंड 107, सीमाशुल्क अधिनियम में नई धारा 159क अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे कि की गई या किए जाने से लोप की गई किसी कार्रवाई या बात किए जाने की व्यावृत्ति के लिए वहां विधायी उपबंध किया जा सके, जहां उक्त अधिनियम या किसी अधिसूचना या जारी किए गए किसी आदेश या ऐसे नियम या विनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम, अधिसूचना या नियम को संशोधित, निरसित या अधिक्रमित या विखंडित किया जाता है।

नई धारा के उपबंध उक्त अधिनियम की प्रारंभ की तारीख से भूतलक्षी प्रभाव से लागू होंगे। उक्त अधिनियम के अधीन जारी किए गए नियमों, आदेशों, अधिसूचनाओं, आदि में उन विधिक कमियों को दूर करने के लिए ऐसा करना आवश्यक हो गया है जो कतिपय न्यायिक निर्णयों के परिणामस्वरूप पैदा हो गई थी।

खंड 108, सीमाशुल्क के अधीन विभिन्न नियमों, अधिसूचनाओं, आदेशों, आदि के अधीन की गई कतिपय कार्रवाई का विधिमान्यकरण करने का प्रस्ताव करता है। कतिपय न्यायिक निर्णयों के द्वारा प्रभावित कतिपय कार्रवाई का विधिमान्यकरण करने के लिए यह करना आवश्यक हो गया है।

खंड 109, आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25(1) के अधीन जारी की गई कतिपय अधिसूचनाओं का संशोधन करने के लिए है और इन संशोधनों को भूतलक्षी प्रभाव देता है।

खंड 110, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 का निम्नलिखित रूप में संशोधन करता है,-

(i) केंद्रीय सरकार को उत्पाद-शुल्क की विभिन्न दरों पर प्रभार्य मानव उपभोग के लिए मद्यसारिक लिकर पर राज्यों में अतिरिक्त शुल्क की दरें नियत करने के लिए और उस दशा में जब मद्यसारिक लिकर जैसा पदार्थ किसी राज्य में उत्पादित नहीं किया जाता है तब मद्यसारिक लिकर के वर्ग या वर्णन पर जिसका आयातित मद्यसारिक लिकर है उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सरकार को सशक्त करता है।

(ii) फुटकर विक्रय कीमत के आधार पर आयातित वस्तु पर अतिरिक्त शुल्क के उद्ग्रहण के लिए उपबंध करता है यदि भारत में उत्पादित या विनिर्मित वैसे ही या उसी प्रकार के माल इस आधार पर केंद्रीय उत्पाद-शुल्क के अधीन हैं।

ये तुरंत प्रभावी होंगे।

खंड 111, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8ख का निम्नलिखित संशोधन करने के लिए है,--

(i) केंद्रीय सरकार द्वारा नियत की जाने वाली टैरिफ दर कोटा के भीतर रियायती सुरक्षा शुल्क के उद्ग्रहण के लिए उपबंध करना।

(ii) यह उपबंध करना कि सुरक्षा शुल्क का उद्ग्रहण शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रमों, यूनिटों द्वारा मुक्त व्यापार क्षेत्रों और विशेष आर्थिक क्षेत्रों में किए गए आयातों को तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित न किया गया हो।

खंड 112, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने के लिए है कि प्रतिपाटन शुल्क का उद्ग्रहण शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रमों, यूनिटों द्वारा मुक्त व्यापार क्षेत्रों या विशेष आर्थिक क्षेत्रों में किए गए आयातों पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित न किया गया हो।

खंड 113, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची का संशोधन करने के लिए है।

दूसरी अनुसूची के साथ पठित उपखंड (क)--

निम्नलिखित अध्यायों, शीर्ष और उपशीर्ष संख्यांकों के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं की बाबत सीमाशुल्क में कमी करने के लिए है, अर्थात्:--

अध्याय 50 (शीर्ष सं. 50.03), अध्याय 51(शीर्ष सं. 51.11 और 51.12), अध्याय 52 (शीर्ष सं. 52.02 और उपशीर्ष सं. 5209.42 और 5209.59), अध्याय 58 (उपशीर्ष सं. 5801.35), अध्याय 61 (शीर्ष सं. 61.05 और 61.09 और उपशीर्ष सं. 6104.19, 6104.62, 6104.63, 6106.10, 6107.11, 6108.21, 6108.22, 6108.91, 6108.92, 6110.20, 6110.30, 6110.90), अध्याय 62 (उपशीर्ष सं. 6201.13, 6201.92, 6201.93, 6202.12, 6202.92, 6203.32, 6203.33, 6203.39, 6203.42, 6203.43, 6203.49, 6204.11, 6204.13, 6204.19, 6204.31, 6204.32, 6204.33, 6204.39, 6204.42, 6204.62, 6204.69, 6205.20, 6205.30, 6205.90, 6206.30, 6206.40, 6207.11, 6207.19, 6207.99, 6208.11, 6208.19, 6208.91, 6208.92, 6210.40, 6210.50 और 6214.10), अध्याय 63 (उपशीर्ष सं. 6301.20), अध्याय 70 (उपशीर्ष सं. 7019.19 और 7019.51), अध्याय 84 (शीर्ष सं. 84.70 और उपशीर्ष सं. 8456.91, 8469.11, 8473.21 और 8473.29), अध्याय 85 (उपशीर्ष सं. 8517.11, 8517.19, 8517.21, 8517.22, 8517.30, 8517.50, 8517.80, 8520.20, 8523.11, 8523.12, 8523.13, 8523.20, 8523.90, 8524.31, 8524.40, 8524.91, 8525.20, 8531.20, 8532.10, 8532.22, 8532.23, 8532.25, 8532.29, 8532.30, 8543.11, 8543.81 और 8544.70), अध्याय 90 (उपशीर्ष सं. 9009.11, 9009.21, 9009.90, 9026.10, 9030.40 और 9031.41);

निम्नलिखित अध्यायों, शीर्ष और उपशीर्ष संख्यांकों के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं की बाबत सीमाशुल्क में वृद्धि करने के लिए है, अर्थात्:--

अध्याय 8 (उपशीर्ष सं. 0801.11 और 0801.19), अध्याय 9 (शीर्ष सं. 09.01 और 09.02), अध्याय 12 (उपशीर्ष सं. 1203.00), अध्याय 49 (उपशीर्ष सं. 4906.00), अध्याय 52 (उपशीर्ष सं. 5208.42, 5208.52, 5208.53, 5208.59, 5209.51, 5209.52, 5210.51, 5210.59, 5211.51, 5211.52 और 5211.59), अध्याय 87 (शीर्ष सं. 87.03 और 87.11);

निम्नलिखित अध्यायों, शीर्ष और उपशीर्ष संख्यांकों के अंतर्गत आने वाले माल की बाबत उद्ग्रहण के ढंग को मूल्यानुसार से परिवर्तित करके, मूल्यानुसार या विनिर्दिष्ट, जो भी अधिक हो, करने के लिए है, अर्थात्:-

अध्याय 52 (उपशीर्ष सं. 5208.39, 5209.31, 5209.32, 5209.39, 5209.49, 5210.39, 5211.31, 5211.32, 5211.39 और 5211.49), अध्याय 54 (उपशीर्ष सं. 5407.61 और 5407.69), अध्याय 55 (उपशीर्ष सं. 5516.22 और 5516.23), अध्याय 58 (उपशीर्ष सं. 5802.30);

निम्नलिखित अध्यायों, शीर्ष और उपशीर्ष संख्यांकों के अंतर्गत आने वाले माल की बाबत उद्ग्रहण के ढंग को मूल्यानुसार या विनिर्दिष्ट (रुपए प्रति कि.ग्रा.), जो भी अधिक हो, से परिवर्तित करके मूल्यानुसार या विनिर्दिष्ट, (रुपए प्रति वर्ग मीटर) जो भी अधिक हो, करने के लिए है, अर्थात्:-

अध्याय 52 (उपशीर्ष सं. 5209.41, 5209.43, 5210.42, 5211.41 और 5211.43), अध्याय 54 (उपशीर्ष सं. 5407.41, 5407.42, 5407.43, 5407.44, 5407.52, 5407.53, 5407.54, 5407.72, 5407.73, 5407.74, 5407.82, 5407.83, 5407.84, 5407.92, 5407.93, 5407.94, 5408.22, 5408.23,

5408.24, 5408.31 और 5408.32), अध्याय 55 (उपशीर्ष सं. 5512.19, 5512.29, 5513.31, 5513.33, 5513.41, 5513.42, 5513.43, 5514.31, 5514.32, 5514.39, 5514.41, 5514.43, 5515.11, 5515.19, 5515.21, 5515.29, 5515.91, 5515.92, 5515.99, 5516.12, 5516.13 और 5516.94);

निम्नलिखित अध्यायों, शीर्ष और उपशीर्ष संख्यांकों के अंतर्गत आने वाले माल की बाबत उद्ग्रहण के ढंग को मूल्यानुसार या विनिर्दिष्ट (रुपए प्रति कि.ग्रा.), जो भी अधिक हो, से परिवर्तित करके मूल्यानुसार या विनिर्दिष्ट, (रुपए प्रति वर्ग मीटर और रुपए प्रति कि.ग्रा.) जो भी अधिक हो, करने के लिए है, अर्थात्:-

अध्याय 55 (उपशीर्ष सं. 5513.23, 5513.39 और 5514.21)।

तीसरी अनुसूची के साथ पठित इस खंड का उपखंड (ख) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची का संशोधन करने के लिए भी है जिससे कि सुमेलित वस्तु वर्णन और संहिता पद्धति (सुमेलित पद्धति) के विधिक पाठ में सीमाशुल्क सहयोग परिषद् (विश्व सीमाशुल्क संगठन) द्वारा अनुमोदित कुछ संशोधनों को सम्मिलित किया जा सके जिससे कि पहली अनुसूची सुमेलित पद्धति के अनुसार हो।

उत्पाद-शुल्क

खंड 114, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 3 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि इसके उपबंधों को उसमें परिभाषित विशेष आर्थिक क्षेत्रों को लागू किया जा सके।

खंड 115, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 3क का लोप करने के लिए है।

खंड 116, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 5क का संशोधन करने के लिए है जिससे कि इसके उपबंधों को विशेष आर्थिक क्षेत्रों को लागू किया जा सके।

खंड 117, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11क का संशोधन करने के लिए है जिससे कि निम्नलिखित का उपबंध किया जा सके,-

(i) एक वर्ष की समय सीमा जिसके भीतर उचित अधिकारी तथ्यों आदि के छिपाए जाने के मामलों में शुल्क दायित्व का, जहां यह संभव हो, अवधारित करेगा;

(ii) छह मास की समय सीमा जिसके भीतर उचित अधिकारी ऐसे सभी अन्य मामलों में शुल्क का दायित्व, जहां संभव हो, अवधारित करेगा; और

(iii) हेतुक दर्शित करने वाली सूचना के जारी किए जाने की प्रतीक्षा किए बिना निर्धारिती द्वारा शुल्क का स्वेच्छया संदाय।

खंड 118, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11कक का संशोधन करने के लिए है जिससे कि वित्त अधिनियम, 2001 के अधिनियमन की तारीख से इसे अप्रयोज्य बनाया जा सके।

खंड 119, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11कख का संशोधन करने के लिए है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि कम उद्ग्रहण के मामलों में जहां शुल्क वित्त अधिनियम, 2001 के अधिनियमन के पश्चात् संदेय हो जाता है, वहां विलंबित संदाय पर ब्याज उस मास के जिसमें शुल्क का संदाय किया जाना चाहिए था, उत्तरवर्ती मास के पहले दिन से संदेय होगा।

खंड 120, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11खख का संशोधन करने के लिए है जिससे कि केंद्रीय उत्पाद-शुल्क के विलंबित प्रतिदाय पर ब्याज की न्यूनतम दर को अधिक संदत्त उत्पाद-शुल्क के विलंबित प्रतिदाय पर दस प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत किया जा सके।

खंड 121, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील फाइल करने की समय सीमा को घटाकर साठ दिन किया जा सके और इसके साथ यह उपबंध किया जा सके कि पर्याप्त हेतुक दर्शित किए जाने पर तीस दिन के लिए विस्तार किया जा सकेगा।

खंड 122, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35क का संशोधन करने के लिए है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि,--

(i) जहां यह संभव हो, वहां आयुक्त (अपील) अपील फाइल किए जाने के छह मास की अवधि के भीतर उसका निपटारा करेगा;

(ii) मामलों को नए सिरे से विचार करने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को वापस प्रेषित करने के लिए आयुक्त (अपील) की शक्तियों का हटाया जाना।

खंड 123, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35ङ का संशोधन करने के लिए है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि सीमाशुल्क, उत्पाद-शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपील अधिकरण के समक्ष अपील फाइल करने के लिए बोर्ड द्वारा निदेश या तो न्यायनिर्णायक आयुक्त को या किसी अन्य आयुक्त को दिया जा सकेगा।

खंड 124, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35च का संशोधन करने के लिए है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि आयुक्त (अपील), जहां संभव हो, वहां अपील फाइल किए जाने के तीस दिन के भीतर ब्याज या शास्ति के पूर्व निक्षेप के अधित्यजन के लिए आवेदन पर विनिश्चय कर सकेगा।

खंड 125, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम में नई धारा 38क अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे कि लोप की गई किसी कार्रवाई या बात की व्यावृत्ति के लिए वहां विधायी उपबंध किया जा सके, जहां कभी केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम या किसी अधिसूचना या जारी किए गए किसी आदेश या ऐसे नियम या विनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम, अधिसूचना या नियम को संशोधित, निरसित या अधिक्रमित या विखंडित किया जाता है।

खंड 126, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम के अधीन विभिन्न नियमों, अधिसूचनाओं, आदेशों आदि के अधीन की गई कतिपय कार्रवाई का विधिमान्यकरण करने का प्रस्ताव करता है।

खंड 127, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की चौथी और पांचवीं अनुसूची के साथ पठित खंड 127, पहली और दूसरी अनुसूची का संशोधन करने के लिए है। उपखंड (क) उक्त पहली अनुसूची का संशोधन करने के लिए है,—

निम्नलिखित अध्यायों, शीर्ष और उपशीर्ष संख्यांकों के अंतर्गत आने वाले माल की बाबत उत्पाद-शुल्क में वृद्धि की जा सके, अर्थात्:-

अध्याय 27 (उपशीर्ष सं.2711.21) अध्याय 34 (उपशीर्ष सं.3406.10), अध्याय 48 (उपशीर्ष सं.4819.12), अध्याय 62 (शीर्ष सं.62.01 और 62.02), अध्याय 64 (उपशीर्ष सं.6401.12), अध्याय 71 (उपशीर्ष सं.7101.50), अध्याय 85 (उपशीर्ष सं.8539.10), अध्याय 90 (उपशीर्ष सं.9004.90) और अध्याय 96 (शीर्ष सं.96.03);

अध्याय टिप्पणों और टैरिफ वर्णनों का संशोधन किया जा सके जिससे कि,-

(i) अध्याय 21 के टिप्पण 3 का, 'पान मसाला' शब्द को परिभाषित करने के लिए संशोधन किया जा सके;

(ii) अध्याय 24 के टिप्पण 6 का, 'पान मसाला, जिसमें तंबाकू है' शब्दों को परिभाषित करने के लिए संशोधन किया जा सके;

(iii) अध्याय 27 में टिप्पण 10 अंतःस्थापित किया जा सके जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि प्राकृतिक गैस के संपीड़न की प्रक्रिया (चाहे उसमें तरलीकरण अंतर्वलित नहीं है) विनिर्माण की कोटि में आएगी;

(iv) अध्याय 52 में अध्याय टिप्पण 4 अंतःस्थापित किया जा सके जिससे कि 'डेनिम' शब्द को परिभाषित किया जा सके;

(v) उपशीर्ष सं. 5207.10 अंतःस्थापित किया जा सके और विद्यमान उपशीर्ष सं. 5207.10, 5207.21, 5207.22, 5207.23 और 5207.29 को पुनःसंख्यांकित किया जा सके;

(vi) उपशीर्ष सं. 5208.10 अंतःस्थापित किया जा सके और विद्यमान उपशीर्ष सं. 5208.10, 5208.21, 5208.22, 5208.23 और 5208.29 को पुनःसंख्यांकित किया जा सके;

(vii) अध्याय 62 में, अध्याय टिप्पण 3 और 4 अंतःस्थापित किए जा सके जिससे कि ब्राण्ड नाम को परिभाषित किया जा सके और यह विनिर्दिष्ट किया जा सके कि कतिपय प्रक्रियाएं क्रमशः विनिर्माण की कोटि में आएंगी;

(viii) अध्याय 87 के अध्याय टिप्पण 3 का सशोधन किया जा सके जिससे कि शीर्ष सं. 87.06 की चेसिस पर बाडी बनाने की परिधि को स्पष्ट किया जा सके;

(ix) शीर्ष सं. 87.07 के टैरिफ वर्णन का संशोधन किया जा सके जिससे कि यह स्पष्ट किया जा सके कि शीर्ष सं. 87.06 की चेसिस पर बाडी बनाना इस शीर्ष के अंतर्गत नहीं आता है।

उपखंड (ख) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची का भी संशोधन करने के लिए है जिससे कि,—

निम्नलिखित अध्यायों, शीर्ष और उपशीर्ष संख्यांकों के अंतर्गत आने वाले माल की बाबत उत्पाद-शुल्क में कमी की जा सके, अर्थात्:-

अध्याय 21 (उपशीर्ष सं. 2106.00 और उपशीर्ष सं. 2108.10), अध्याय 22 (उपशीर्ष सं. 2201.20 और 2202.20), अध्याय 24 (उपशीर्ष सं. 2401.90, 2404.41, 2404.49, 2404.50 और 2404.99), अध्याय 87 (उपशीर्ष सं. 8703.90, 8704.90, 8706.39 और 8706.49);

निम्नलिखित अध्यायों, शीर्ष और उपशीर्ष संख्यांकों के अंतर्गत आने वाले माल की बाबत उत्पाद-शुल्क में वृद्धि की जा सके, अर्थात्:-

अध्याय 25 (उपशीर्ष सं.2502.21, 2502.30, 2502.40, 2502.50 और 2502.90) अध्याय 43 (उपशीर्ष सं.4301.00) अध्याय 89 (उपशीर्ष सं.8903.00 और 8907.00), अध्याय 93 (उपशीर्ष सं.9302.00, 9303.00, 9304.00, 9305.00, 9306.00 और 9307.00;

शीर्ष सं. 57.02, 57.03, 59.04, 59.05, 59.07, 69.05, 69.06, 87.11

और 94.04 का लोप किया जा सके।

खंड 128, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची का संशोधन करने के लिए है जिससे कि,--

(क) उपशीर्ष सं. 2404.41, 2404.50, 2404.99, 5110.10, 5110.21, 5110.22, 5110.23, 5110.29, 5111.10, 5111.21, 5111.22, 5111.23 और 5111.29 के अंतर्गत आने वाले माल के संबंध में शुल्क में वृद्धि की जा सके;

(ख) उपशीर्ष सं. 5207.10 अंतःस्थापित किया जा सके और विद्यमान उपशीर्ष सं. 5207.10, 5207.21, 5207.22, 5207.23 और 5207.29 को पुनःसंख्यांकित किया जा सके;

(ग) पान मसाला जिनमें तंबाकू है, पर अतिरिक्त शुल्क अधिरोपित करने के लिए उपशीर्ष सं. 2404.49 अंतःस्थापित की जा सके;

(घ) उपशीर्ष सं. 5208.10 अंतःस्थापित किया जा सके और विद्यमान उपशीर्ष सं. 5208.10, 5208.21, 5208.22, 5208.23 और 5208.29 को पुनःसंख्यांकित किया जा सके।

खंड 129, सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल पर उसमें विनिर्दिष्ट दरों से उत्पाद-शुल्क के अधिभार के रूप में संघ के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय विपत्ति आकस्मिक शुल्क का उद्ग्रहण करने के लिए है।

सेवा-कर

खंड 130, सेवा-कर से संबंधित वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 का संशोधन करने के लिए है।

उपखंड (क), उपखंड (ख) और उपखंड (ग) धारा 65, धारा 66 और धारा 67 को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे कि निम्नलिखित द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर कर उद्ग्रहण किया जा सके--

(i) वैज्ञानिक या तकनीकी परामर्श के संबंध में कोई वैज्ञानिक या कोई तकनीक तंत्री या विज्ञान या प्रौद्यौगिकी संस्था या संगठन;

(ii) फोटोग्राफी से संबंधित किसी रीति से फोटोग्राफी के संबंध में कोई फोटोग्राफी स्टूडियो या अभिकरण;

(iii) किसी रीति से कन्वेंशन आयोजित कराने के संबंध में कोई वाणिज्यिक समुत्थान;

(iv) अनुकृति, तार, टैलेक्स और पट्टे पर दिए गए सर्किट के माध्यम से किसी दूरसंचार के संबंध में तार प्राधिकारी;

(v) कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से इलेक्ट्रानिक अभिलेख में किसी रीति से ऑन लाइन सूचना और डाटा आधारित पहुंच तथा/या पुनर्वापसी के संबंध में कोई वाणिज्यिक समुत्थान;

(vi) किसी रीति से वीडियो टेप निर्माण के संबंध में कोई वीडियो निर्माण अभिकरण;

(vii) किसी भी प्रकार के ध्वन्यांकन के संबंध में कोई ध्वन्यांकन स्टूडियो या कंपनी;

(viii) किसी रीति से प्रसारण के संबंध में कोई प्रसारण अभिकरण या संगठन;

(ix) बीमा सहायक सेवा के संबंध में कोई बीमांकक या मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती या बीमा अभिकर्ता;

(x) बैंककारी और वित्तीय सेवा के संबंध में कोई बैंककारी कंपनी या वितीय संस्था, जिसके अंतर्गत गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी भी है;

(xi) किसी रीति से किसी पत्तन सेवा के संबंध में कोई पत्तन; और

(xii) किसी ऑटोमोबाईल सेवा या मरम्मत के संबंध में किसी रीति से, कोई प्राधिकृत सर्विस स्टेशन।

सेवा प्रदाता द्वारा, यथास्थिति, कक्षीकार या ग्राहक या अभिदाता या पालिसीधारक या किसी अन्य व्यक्ति को प्रदान की गई उपरोक्त सेवाओं के संबंध में प्रभारित सकल रकम पर पांच प्रतिशत की दर से सेवा-कर उद्गृहित किया जाना अपेक्षित है।

उपखंड (घ) उक्त अधिनियम की धारा 69 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि सेवा-कर का संदाय करने का दायी कोई व्यक्ति केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधीक्षक को रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर सकेगा।

उपखंड (ङ) उक्त अधिनियम की धारा 70 और धारा 71 को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे कि निर्धारिती द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर शोध्य सेवा-कर के स्वतःनिर्धारण के लिए उपबंध किया जा सके और जब भी अपेक्षित हो, निर्धारिती से दस्तावेज, लेखे या अन्य साक्ष्य पेश करने की अपेक्षा के लिए निर्धारिती द्वारा निर्धारित सेवाकर की शुद्धता के सत्यापन का और ऐसी दशा में, जहां प्रदान की गई किसी सेवा के संबंध में सेवा-कर क्रमशः निर्धारण से छूट गया है या अवनिर्धारित किया गया है, वहां केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी द्वारा आदेश पारित करने का उपबंध करने के लिए उपबंध किया जा सके।

उपखंड (च) उक्त अधिनियम की धारा 72 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि सेवा-कर के निर्धारण के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी के बजाय यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त या, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त को सशक्त कर दिया जाए।

उपखंड (छ) उक्त अधिनियम की धारा 73 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि निर्धारण से छूट गए या कम निर्धारण या भूल से प्रतिदाय के मूल्य पर सेवा-कर के निर्धारण की शक्ति प्रदान की जा सके और सूचना की तामील की उस अवधि को अपवर्जित किया जा सके जिसे उस धारा में विनिर्दिष्ट, यथास्थिति, पांच वर्ष या छह मास की अवधि की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी न्यायालय के आदेश द्वारा रोक दिया गया है।

उपखंड (ज) उक्त अधिनियम की धारा 74 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि अभिलेख से प्रकट किसी गलती को ठीक करने के लिए, यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त को सशक्त किया जा सके।

उपखंड (झ) उक्त अधिनियम की धारा 75 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि सेवा-कर के विलंबित संदाय पर ब्याज चौबीस प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से विहित किया जा सके।

उपखंड (ञ) उक्त अधिनियम में नई धारा 75क अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे कि धारा 69 के अधीन रजिस्टर करने में असफलता के लिए शास्ति का उपबंध किया जा सके।

उपखंड (ट) उक्त अधिनियम की धारा 77 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि शास्ति को ऐसी किसी धनराशि तक पुनरीक्षित किया जा सके जो विहित विवरणी देने में असफलता के लिए एक हजार रुपए तक हो सकेगी।

उपखंड (ठ) और उपखंड (ड) उक्त अधिनियम की धारा 78 और धारा 79 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि क्रमशः कराधेय सेवा के मूल्य को छिपाने के लिए या धारा 71 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहने के लिए किसी शास्ति का संदाय करने के लिए किसी व्यक्ति को निदेश देने के लिए, यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त को सशक्त किया जा सके।

उपखंड (ढ) उक्त अधिनियम की धारा 82 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि परिसरों की तलाशी लेने के लिए, यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त को सशक्त किया जा सके।

उपखंड (ण) उक्त अधिनियम की धारा 84 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त इस उपधारा के अधीन उसके द्वारा पारित आदेश निर्धारिती, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त और बोर्ड को संसूचित करेगा।

उपखंड (त) और उपखंड (थ) धारा 85 और धारा 86 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि क्रमशः केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (अपील) आयुक्त या अपील अधिकरण की अपील करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त को सशक्त किया जा सके।

प्रकीर्ण

खंड 131, भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की पहली अनुसूची को प्रतिस्थापित करने के लिए है, जिससे कि पत्र, पोस्टकार्ड, मुद्रित पोस्टकार्ड, प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड, पत्र, रजिस्ट्रीकृत समाचारपत्र, पुस्तक, पैटर्न और नमूना पैकेट तथा पार्सल के लिए पुनरीक्षित दरों का उपबंध किया जा सके।

ये पुनरीक्षित दरें, वित्त विधेयक के पारित किए जाने के और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, राजपत्र में अधिसूचित की जाने वाली तारीख से प्रभावी होंगी।

खंड 132, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 14 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि इसके अंतर्गत टर्बो-प्रोप वायुयान और स्पंजी लोहा की विक्रय की गई विमानन टर्बाइन-ईंधन को इसे अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य में विशेष महत्व का माल घोषित करने के प्रयोजन के लिए लाया जाए।

खंड 133, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 55 का लोप करने के लिए है।

उक्त अधिनियम की धारा 55 में यह उपबंध है कि आय-कर अधिनियम, 1961 या कंपनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 या आय, लाभ या अभिलाभ पर कर से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक व्युत्पन्न किसी आय, लाभ या अभिलाभ या उसके द्वारा प्राप्त किसी रकम की बाबत आय-कर, अतिकर या किसी अन्य कर का संदाय करने के लिए दायी नहीं होगा।

यह प्रस्ताव है कि उक्त धारा का लोप किया जाए जिससे कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को व्युत्पन्न किसी आय, लाभ या अभिलाभ या उसके द्वारा प्राप्त किसी रकम की बाबत आय-कर या किसी अन्य कर का संदाय करने के लिए दायी बनाया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 134, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 48 का लोप करने के लिए है।

उक्त अधिनियम की धारा 48 में यह उपबंध है कि आय-कर अधिनियम, 1961 या आय, लाभ या अभिलाभ पर कर से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रीय आवास बैंक व्युत्पन्न अपनी आय, लाभ या अभिलाभ की बाबत आय-कर या किसी अन्य कर का संदाय करने के लिए दायी नहीं होगा।

यह प्रस्ताव है कि उक्त धारा का लोप किया जाए जिससे कि राष्ट्रीय आवास बैंक को उसके द्वारा व्युत्पन्न आय, लाभ या अभिलाभ की बाबत आय-कर या किसी अन्य कर का संदाय करने के लिए दायी बनाया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 135, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 की धारा 50 का लोप करने के लिए है।

उक्त अधिनियम की धारा 50 में यह उपबंध है कि आय-कर अधिनियम, 1961 में या आय-कर या आय, लाभ या अभिलाभ पर किसी अन्य कर से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति में अंतर्विष्ट तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक लघु उद्योग विकास सहायता निधि को प्रोद्भूत या उद्भूत (क) किसी आय, लाभ या अभिलाभ या उस निधि में प्राप्त किसी रकम की बाबत; और (ख) व्युत्पन्न किसी आय, लाभ या अभिलाभ या उसके द्वारा प्राप्त किसी रकम की बाबत आय-कर या किसी अन्य कर का संदाय करने का दायी नहीं होगा।

यह प्रस्ताव है कि उक्त धारा का लोप किया जाए जिससे कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को लघु उद्योग विकास सहायता निधि को प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली किसी आय, लाभ या अभिलाभ या उस निधि में प्राप्त किसी रकम और व्युत्पन्न किसी आय, लाभ या अभिलाभ या उसके द्वारा प्राप्त किसी रकम की बाबत आय-कर या किसी अन्य कर का संदाय करने के लिए दायी बनाया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।